

## हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉपेरिशन लिमिटेड

रजिस्टर्ड ऑफिसः पेट्रोलियम हाउस, 17, जमशेदजी टाटा रोड, चर्चगेट मुबंई 400 020

HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED आजादी का REGISTERED OFFICE: PETROLEUM HOUSE, 17, JAMSHED JI TATA ROAD, CHURCHGATE, MUMBAI 400 020

Website: www.hindustanpetroleum.com CIN No. L2320 1MH1952GO1008858

ष एवं क्रितीय, तल, महालक्ष्मी टावर्स, 112 सिनिल लाईन्स बरेली 243001 पोनः 0581-2422020,2970180, मो 7409900090 City Gas Distribbution, Up& Uk Cluster 1st & 2nd Floor, Mahalaxmi Tower, 112 Civil Lines, Barellly-243001,tel: 0581-2422020,2970180, Mob:7409900090



## UNDERTAKING

It is informed that HPCL will undertake the laying of the Steel Pipeline along the approved route by both the open cut and by the HDD method depending on the soil conditions/route conditions and the technical feasibility/recommendation by our consultant.

HPCL also would like to inform you that it is not feasible to lay the entire pipeline completely through HDD or open cut alone. HPCL undertakes to ensure the protection of the trees and commits that no tree cutting/ tree felling due to steel pipeline by both the methods.

HPCL also commits to compensate in case any tree felling is required to be carried out unavoidably with the prior permission of your good office & all the formalities & conditions would be met as instructed by your good office or state/central Govt. regarding net present value and compensatory afforestation.

> A. Feer (आदर्श क्मार) प्रभागीय निवेशक

उप प्रभागीय बनाविकारी पुनायाँ वन एवं यन्थ प्रीव वका

क्षेत्रीय तनाधिकारी सिंधोली रेंज

## कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, , प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, शाहजहाँपुर

पत्रांक 3319/7-परि

दिनांक :2 6/10/2021

सेवा में,

श्री धर्मपाल गुप्ता महाप्रबन्धक — परियोजना शहरी गैस वितरण परियोजना यू0पी0 कलस्टर प्रथम तल, डी0डी0 पुरम बेरली—243122 l

विषय:- जनपद-शाहजहॉपुर में जी०आई०सी० से अटसलिया रेलवे फाटक (अ०जि०मा०) लम्बाई 3.80 में नेचुरल गैस पाइप लाईन डालने की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ- शासनादेश सं0-760/नौ-9-2018-101ज/17 दिनॉक 30.05.2018 एवं आपका पत्रांक HPCL/CGD/SHA/21-22/01 दिनॉक 14.07.2021

उपरोक्त विषय में आप द्वारा खण्डीय कार्यालय में बी०जी० संख्या—0012521BG0000021 दिनॉक 28.06.2021 रू० 20000/-एवं बी०जी० संख्या—0012521BG0000020 दिनॉक 28.06.2021 रू० 3496000/— एस०बी०आई, मुख्य शाखा तारा वाली कोठी, लखनऊ एवं डी०डी० संख्या—396216 दिनॉक 17.06.2021 रू० 4000/-जमा कर दिया गया है। विषयगत मार्ग पर पाईप लाईन डालने के की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के आधार पर दी जाती है:—

- आप द्वारा नेचुरल गैस पाईप लाईन डालने से पूर्व लिखित रूप से इस कार्यालय को सूचित

करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

अाप द्वारा नेचुरल गैस पाईप लाईन डालने का कार्य सड़क एवं पटरी छोड़कर किया जायेगा।

3- किटंग पश्चात हुए ट्रेन्चेज को भरकर कुटाई का कार्य आपके द्वारा कराकर पूर्ववत दशा में लाया जायेगा। मैटलिक / विटुमिनस सतह में कोई भी किटंग / क्षित नहीं की जानी चाहिए अन्यथा दी जा रही अनुमित स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

4- खुदाई कार्य के फोटोग्राफ एवं उसके बाद गड्ढा भराई के फोटोग्राफ लेते हुए सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता से सत्यापित कराकर इस कार्यालय को प्रस्तुत कराना

अनिवार्य होगा।

नेचुरल गैस पाईप लाईन डालते समय यह ध्यान रखा जाये कि कोई दुर्घटना न हो, यदि दुर्घटना होती है, तो उसकी जिम्मेदारी पटरी कटिंग एजेन्सी की होगी। पटरी कटिंग के द्वारा सर्विस जैसे सीवर, पानी नाला व विद्युत लाईन आदि की सुरक्षा का उत्तरदायित्व पटरी कटिंग एजेन्सी का होगा।

पटरी कटिंग के दौरान यातायात के सुरक्षित डायवर्जन की व्यवस्था की जाये तथा रोड कटिंग भकरते समय आवश्यक चेतावनी/बोर्ड/बैरीकेटिंग व रात्रि में प्रकाश व्यवस्था की जाये। कार्य करते समय यदि कोई दुर्घटना होती है तो निर्माण कम्पनी स्वयं जिम्मेदार होगी।

7- आबादी भाग में खोदे गये गड्ढों को चारों ओर से बैरीकेटिंग / टीन लगाकर सुरक्षित किया जाये, तािक गड्ढों में कोई भी व्यक्ति / बच्चा अथवा जानवर आदि न गिर जाने का खतरा न हो। सुरक्षा व्यवस्था का पूर्ण उत्तरदाियत्व सम्बन्धित कम्पनी का स्वयं का होगा।

8- कार्य संतोषजनक पाये जाने के पश्चात ही आपके द्वारा जमा की गयी केवल उक्त बैंक गारण्टी के रूप में जमा सिक्योरिटी की धनराशि को ही मुक्त किया जायेगा।

क्षेत्रीय वनाधिकारी

(आदर्श कुआर)

प्रभागीय निदेशका

Mula स्थाप जी. एव. वी. शव G.H.V. RAO

Amin Sahabidar Line Letter destrage: Boers : And Sales
Deputy General Manager: Degree : And Sales

भा कान्त) क्षेत्रीय वनाधिकारी सिंधोली रेंज क्रमशः.....02 पर

उप प्रभागीय वनाधिय पुरायाँ

उन एवं यन्य जीव ए Scanned with CamScanner

(57)

- यह अनुमित केवल लोक निर्माण विभाग के मार्गों के लिए पटरी कटिंग से सम्बन्धित है, यदि इसके अतिरिक्त अन्य विमाग/निगम आदि की अनुमित की आवश्यकता हो तो उसकी अनुमित सम्बन्धित विभाग से अलग से लेनी होगी।
- उक्त प्रकरण विधिक कार्यवाही हेतु न्यायालय में प्रस्तुत करने पर मान्य होगा। 10-

कार्य स्थल पर अनुमति पत्र की प्रति होना अनिवार्य है। 11-

अतः उक्त शर्तों / प्रतिबन्धों के साथ नेचुरल गैस पाईप लाइन बिछाने हेतु अनुमित प्रदान की जाती है। उपरोक्त शर्तों का पालन न किये जाने की दशा में विषयक कार्य हेतु दी जा रही अनुमति स्वतः निरस्त हो जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता तीय खण्ड, लो०नि०वि०,

पत्रांक प्रतिलिपि-

सहायक अभियन्ता-प्रथम / श्री एस०पी० पाण्डेय, अवर अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, शाहजहाँपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्य पूर्ण होने के पश्चात कार्य स्थल का निरीक्षण कर आख्या फोटोग्राफ सहित कार्यालय में प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।

खण्डीय अमीन, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, शाहजहाँपुर को अमिलेखार्थ हेतु।

43

अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, शाहजहाँपुर

G.H.V. RAO उप महाप्रबन्धक-परिचालन न्वं द्विकी Daputy General Manager Opera: In And Sales

A ten (आदर्श क्मार) प्रभागीय निवेशक वत एवं बन्य जीव प्रभाग महिजहाँ पुष्ठि । । १२

> उप प्रभागीय वनाधिकारी पुवायां तन एवं वन्य जीव प्रभाग

क्षेत्रीय वनाधिकारी सिंधीली रेंज

तिलहर रेंज